न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक
(डॉ. सूरज सिंह नेगी, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्याः— 65 / 2023
प्रविष्टि दिनांकः— 13.04.2023

विजय सिंह राजावत पुत्र जयसिंह राजावत जाति राजपूत निवासी बावड़ी तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज.

.....प्रार्थी

बनाम

1—अजयसिंह राजावत पुत्र जयसिंह राजावत जाति राजपूत निवासी बावड़ी तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज.
2—तहसीलदार टोडारायसिंह

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज. टि. एक्ट 1955

उपस्थित—

1. श्री पवन कुमार जैन अभिभाषक प्रार्थी।
2. विपक्षीगण श्री अजय सिंह राजावत स्वयं उप.।

निर्णय

दिनांक 03.11.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह में प्रकरण उनवानी विजय सिंह बनाम अजय सिंह दावा संख्या 03 / 2023 मय प्रार्थनापत्र अस्थायी निषेधाज्ञा संख्या 04 / 2023 विचाराधीन हैं जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04.01.2023 से आराजी खसरा न. 4841 / 2383 ग्राम बावडी तहसील टोडारायसिंह के संबंध में इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर रखी हैं कि प्रतिपक्षी उक्त भूमि के प्रार्थी के उपयोग—उपभोग कब्जे तथा काश्त के बाधा नहीं पहुंचायें, मौके पर निर्माण सामग्री तथा निर्माण कार्य नहीं करें, मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति में परिवर्तन नहीं करें, उक्त भूमि में पेट्रोल पम्प से संबंधित कोई कार्य नहीं करें। अभिभाषक प्रार्थी ने यह भी निवेदन किया कि प्रतिपक्षी राजनैतिक जान—पहचान वाला व्यक्ति है तथा कई बडे—बडे नेताओं से उसकी जान—पहचान है, वह इस बात का अनुचित फायदा उठाकर अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से मिलकर उक्त प्रकरण का प्रार्थी के विपक्ष में निर्णय करवाना चाहता है, आए दिन नेताओं को ले जाकर पीठासीन अधिकारी के यहां प्रकरण में अपने हक में निर्णय करने तथा अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश को वेकेट करवाने के लिए सिफारिश करवाता है, प्रार्थी द्वारा कई बार इनको पीठासीन

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

अधिकारी के यहां जाकर बैठा हुआ देखा गया है। प्रतिपक्षी अन्य व्यक्तियों को इस संबंध में सरे आम प्रचार–प्रसार कर रहा है कि वह उक्त प्रकरण का निर्णय बहुत जल्द अपने पक्ष में करवा लेगा जिससे प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से उक्त प्रकरण में निष्पक्ष न्याय की कतई उम्मीद नहीं है। अतः निवेदन हैं कि आवेदन स्वीकार कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह में विचाराधीन प्रकरण उनवानी विजय सिंह बनाम अजय सिंह दावा संख्या 03/2023 मय प्रार्थनापत्र अस्थायी निषेधाज्ञा संख्या 04/2023 को उक्त न्यायालय से अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह को प्रार्थना पत्र की प्रति प्रेषित कर बिन्दुवार रिपोर्ट तलब कर पक्षकारान की बहस सुनी गई।

अप्रार्थी ने प्रार्थी के अभिभाषक के प्रार्थना पत्र के जवाब में निवेदन किया कि आवेदकगण बेवजह ही स्थानान्तरण का प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण में देरी करवाना चाहते है। प्रकरण स्थानान्तरण योग्य नहीं है। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र की पुष्टि में कोई साक्ष्य, दस्तावेजात पेश नहीं किया है जिससे पीठासीन अधिकारी पर लगाए गए आरोप साबित नहीं होते है। यदि फिर भी आवेदकगण प्रकरण को अन्य उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में स्थानान्तरण कराना चाहें तो कोई आपत्ति नहीं हैं। अतः प्रकरण का शीघ्र निस्तारण किया जावें।

हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं अभिभाषक व अप्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह से प्राप्त बिन्दुवार रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह ने अपने पत्र कमांक 3267 दिनांक 28.08.2023 से प्रेषित रिपोर्ट में अंकित किया हैं कि प्रार्थी द्वारा लगाए गए आरोप निराधार व मनगंढत है तथा प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाए तो कोई आपत्ति नहीं है। अप्रार्थी ने भी प्रकरण को स्थानान्तरित किए जाने के संबंध में कोई आपत्ति नहीं की है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह में विचाराधीन प्रकरण उनवानी विजय सिंह बनाम अजय सिंह दावा संख्या 03/2023 मय प्रार्थनापत्र अस्थायी निषेधाज्ञा संख्या 04/2023 को उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह के न्यायालय से उपखण्ड अधिकारी, टोंक में स्थानान्तरित किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 03.11.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक (राज0)